केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती),

सरदार पटेल भवन, छठा तल, ब्लॉक ए/626, जवाहरलाल नेहरू मार्ग,

पटना – 800023

(वेबसाइट –www.csbc.bih.nic.in)

संदर्भः विज्ञापन संख्या–03/2019

बिहार गृह रक्षा वाहिनी सेवा संवर्ग में 'सिपाही चालक' पद की 98 रिक्तियों के विरूद्ध अंतिम रूप से चयनित/अनुशंसित अभ्यर्थियों की सूची

केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती) द्वारा बिहार राज्य में वर्ष 2019 में बिहार गृह रक्षा वाहिनी सेवा संवर्ग में सिपाही चालक पद की 98 रिक्तियों के विरूद्ध दिनांक 19.10.2019 को विज्ञापन संख्या 03/2019 राज्य के प्रमुख समाचार–पत्रों तथा पर्षद के वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया था।

2. प्रकाशित विज्ञापन एवं ''बिहार पुलिस चालक संवर्ग नियमावली, 2017'' यथा संशोधित एवं अन्य संगत अधिसूचनाओं में निहित प्रावधान के आलोक में बिहार गृह रक्षा वाहिनी सेवा संवर्ग में सिपाही चालक की सीधी नियुक्ति हेतु लिखित परीक्षा दिनांक 29.12.2019 (रविवार) को आयोजित की गयी थी । लिखित परीक्षा के आधार पर पात्र उम्मीदवारों को अगले चरण ''शारीरिक दक्षता परीक्षा'' के लिए चयनित कर परिणाम दिनांक 29.05.2020 को प्रकाशित किया गया था । चयनित अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) दिनांक 27.11.2020 एवं 28.11.2020 को शहीद राजेन्द्र प्रसाद सिंह राजकीय उच्च विद्यालय (पटना हाई स्कूल), गर्दनीबाग, पटना–800002 में आयोजित की गयी ।

3. शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) में सफल एवं अभिलेख संवीक्षा में पात्र पाये गये अभ्यर्थियों को अगले चरण ''वाहन चालन दक्षता परीक्षा'' के लिए औपबंधिक रूप से चयनित कर परिणाम दिनांक 10.03.2021 को प्रकाशित किया गया था। 129 अभ्यर्थियों की ''वाहन चालन दक्षता परीक्षा'' दिनांक 08.12.2021 को शहीद राजेन्द्र प्रसाद सिंह राजकीय उच्च विद्यालय (पटना हाई स्कूल), गर्दनीबाग, पटना–800002 में आयोजित की गयी ।

4. ''वाहन चालन दक्षता परीक्षा'' हेतु कुल 105 अभ्यर्थी उपस्थित हुए तथा 24 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। 34 अभ्यर्थी ''वाहन चालन दक्षता परीक्षा'' में असफल रहे । ''वाहन चालन दक्षता परीक्षा'' तथा अभिलेख सत्यापन के आधार पर कुल 71 अभ्यर्थी चयन हेतु विचार योग्य पाये गए। जिसमें 8 महिला एवं 63 पुरूष अभ्यर्थी हैं ।

5. बिहार सरकार, गृह विभाग (आरक्षी शाखा) की अधिसूचना संख्या 7655 दिनांक 20 सितम्बर, 2017 द्वारा प्रकाशित बिहार पुलिस चालक संवर्ग नियमावली, 2017 के प्रावधान के आलोक में अभ्यर्थियों द्वारा ''वाहन चालन दक्षता परीक्षा'' की पाँचों (05) स्पर्धाओं यथा–जीप चालन, कार चालन, बस/ट्रक चालन तथा दो मौखिक परीक्षाओं में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम अर्हतांक 33.5%, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम अर्हतांक 35% तथा सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम अर्हतांक 40% लागू करने पर उपरोक्त 71 सफल

अभ्यर्थियों में से एक अभ्यर्थी अयोग्य पाया गया तथा 70 अभ्यर्थी मेधा सूची के विचार योग्य पाये गयें।

6. बिहार सरकार, गृह विभाग (आरक्षी शाखा) की अधिसूचना संख्या 6622 दिनांक 14 अगस्त, 2019 की कंडिका– 3 के अन्तर्गत यथाविहित प्रक्रिया के अनुसार वाहन चालन दक्षता परीक्षा में प्राप्त अंकों को 0.75 से गुणा कर उसमें संविदा नियोजन अवधि के लिए अधिमानता के आधार पर प्राप्त अंकों के योग के आधार पर आरक्षण कोटिवार मेधा क्रमानुसार मेधा सूची का निर्माण किया गया।

उपरोक्त प्रक्रिया के अनुसार गृहरक्षक तथा गैर गृहरक्षक कोटि के अभ्यर्थियों की मेधा सूची तैयार की गयी। इस प्रकार अंतिम रूप से चयनित पुरुष/महिला अभ्यर्थियों की विवरणी नीचे तालिका में अंकित की जा रही है :–

6. (क) गृह रक्षकों के लिए आरक्षित पदों के विरूद्ध चयनित उम्मीदवार –

श्रेणी/कोटि	अनारक्षित (सामान्य)			आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग			अनुसूचित जाति			अनुसूचित जनजाति			अत्यंत पिछड़ा वर्ग			पिछड़ा वर्ग			पिछड़े वर्गों की महिलाएँ
	पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	योग	
रिक्ति 49	12	08	20	04	01	05	05	03	08	01	00	01	05	03	08	04	02	06	01
	01 FFW सहित																		
चयनित	12	00	12	पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं															
चयनित FFW	00	00	00																
योग	12	00	12																
अग्रनीत पदों पर चयनित	03	00	03																
कुल चयनित	15	00	15																
शेष रिक्ति	–	–	05	–	–	05	–	–	08	–	–	01	–	–	08	–	–	06	01
चयनित कुल योग – 15																			

❖ उपर्युक्त सारणी में स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/नाती/नातीनी की संख्या को FFW में दर्शाया गया है ।

❖ गृह रक्षक श्रेणी में चयन के लिए विचार योग्य कुल 15 उम्मीदवार उपलब्ध थे जिसमें एक भी महिला उम्मीदवार नहीं थी। सभी 15 गृह रक्षक उम्मीदवारों का इस श्रेणी में चयन कर लिया गया। तथापि पात्र अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता के कारण 34 रिक्तियाँ शेष रहीं। नियमानुसार गृह रक्षक कोटि की शेष रिक्तियों को गैर गृह रक्षक कोटि के अभ्यर्थियों से भरने का प्रावधान नहीं है।

6. (ख) गैर गृहरक्षक कोटि के विरूद्ध चयनित उम्मीदवार –

श्रेणी/कोटि	अनारक्षित (सामान्य)			आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग			अनुसूचित जाति			अनुसूचित जनजाति			अत्यंत पिछड़ा वर्ग			पिछड़ा वर्ग			पिछड़े वर्गों की महिलाएँ
	पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	योग	
रिक्ति 49	12	08	20	04	01	05	05	03	08	01	00	01	05	03	08	04	02	06	01
	01 FFW सहित																		
चयनित	12	07	19	04	00	04	05	00	05	01	00	01	05	00	05	04	00	04	00
चयनित FFW	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
योग	12	07	19	04	00	04	05	00	05	01	00	01	05	00	05	04	00	04	00
अग्रनीत पदों पर चयनित	01	00	01	01	00	01	00	00	00	00	00	00	03	00	03	02	00	02	00
कुल चयनित	13	07	20	05	00	05	05	00	05	01	00	01	08	00	08	06	00	06	00
शेष रिक्ति	–	–	00	–	–	00	–	03	03	–	–	00	–	–	00	–	–	00	01
चयनित कुल योग – 45																			

- ❖ उपर्युक्त सारणी में स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/नाती/नातीनी की संख्या को FFW में दर्शाया गया है ।
- ❖ गैर गृह रक्षक कोटि में चयन हेतु विचार योग्य कुल 55 अभ्यर्थी थे जिनमें 7 महिलाएँ एवं 48 पुरूष हैं। मेधा क्रमानुसार एवं आरक्षण कोटिवार सभी 7 महिला अभ्यर्थी एवं 38 पुरूष अभ्यर्थी चयनित हुए हैं। अनुसूचित जाति श्रेणी में 03 और पिछड़े वर्गो की महिलाओं की 01 इस प्रकार कुल 04 रिक्तियाँ इस कोटि में शेष रही तथा 45 अभ्यर्थियों का चयन किया गया ।

7. महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान है किन्तु मात्र 07 महिला अभ्यर्थी उपलब्ध हुए जिन सब का चयन कर लिया गया है। महिलाओं की क्षैतिज आरक्षण की शेष रिक्तियों के विरूद्ध उसी वर्ग के पुरूष अभ्यर्थियों का चयन किया गया ।

8. बिहार गृह रक्षा वाहिनी सेवा संवर्ग में सिपाही चालक पद पर अंतिम रूप से चयनित/अनुशंसित उम्मीदवारों का अनुक्रमांक निम्नवत् हैः–

Advt No: 03/2019 Sepoy Driver in Bihar Home Guard
List of Selected Candidates

2110010083

2110010268

2110010435

2110020215

2110040235

2110050115

2110060170

2110060309

2110070350

2110080196

2110080325

2110080687

2110080791

2110090123

2110090231

2110090279

2110090503

2110090581

2110100278

2110110057

2110120004

2110120170

2110120208

2110120318

2110120387

2110130043

2110140137

2110140402

2110150041

2110150426

2110150562

2110160592

2110170476

2110180340

2110180536

2110180554

2110180579

2110180636

2110180772

2110180826

2110190489

2110200517

2110210232

2110210426

2110210546

2110210842

2110220595

2110220813

2110230321

2110240086

2110250211

2110270374

2111010238

2111011511

2111011818

2111011926

2111012192

2111020632

2111020687

2111030546

9. **''नियुक्ति प्राधिकार''** – ''महानिदेशक–सह–महासमादेष्टा, गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशमन सेवाएँ, बिहार, पटना के पत्रांक 4040, दिनांक 06.09.2017 से प्रेषित अधियाचना की कण्डिका 04.'' के अनुसार नियुक्ति पदाधिकारी **समादेष्टा, बिहार गृह रक्षा वाहिनी, मुख्यालय, पटना** होंगे अतः नियुक्ति की कार्रवाई हेतु अनुशंसा नियुक्ति प्राधिकार **समादेष्टा, बिहार गृह रक्षा वाहिनी, मुख्यालय, पटना** को प्रेषित की जा रही है । योगदान के संबंध में अग्रेतर निर्देश उनके द्वारा निर्गत किया जाएगा।

10. **अभ्यर्थी का ''चिकित्सीय जाँच, चरित्र एवं पूर्ववृत सत्यापन'' –** सिपाही चालक के पद पर नियुक्ति से पूर्व सभी चयनित अभ्यर्थियों का चिकित्सकीय परीक्षण, चरित्र एवं पूर्ववृत सत्यापन नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा यथाविहित सरकारी प्रावधान के अनुसार कराया जाएगा। प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होने एवं/अथवा अभ्यर्थियों द्वारा तथ्यों को छुपाये जाने की स्थिति में संबंधित अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए अयोग्य घोषित किये जाएंगे।

11. नियुक्ति पदाधिकारी दिनांक 28.02.2022 तक योगदान सम्पन्न कराकर प्रतिवेदन पर्षद को देने का कष्ट करेंगे।

12. चयनित अभ्यर्थी विनिर्दिष्ट मूल प्रमाण–पत्रों/अभिलेखों (यथा – शैक्षणिक योग्यता, जन्म तिथि, वाहन चालन अनुज्ञप्ति, जाति एवं आवासीय प्रमाण–पत्र (आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए), क्रीमीलेयर रहित प्रमाण–पत्र (पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए) तथा स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/नाती/नातीनी होने संबंधी सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण–पत्र, आदि), तथा अपने वैध फोटो युक्त पहचान–पत्र (जैसे – मतदाता पहचान–पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड आदि) के साथ भौतिक/ व्यक्तिगत रूप से पहुँच कर योगदान करेंगे ।

13. प्रेस में मुद्रण अथवा टंकण की अशुद्धियों के लिए पर्षद उत्तरदायी नहीं होगा ।

14. दलालों से सावधान रहें और ऐसे संदिग्धों के संबंध में पुलिस को सूचित करें ।

ह0/–
अध्यक्ष,
केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती),
बिहार, पटना

ज्ञापांक– 01 /के0च0प0(प0परि0)

दिनांक– 10/01/2022

केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती) का कार्यालय,
सरदार पटेल भवन, छठा तल, ब्लॉक ए/626,
जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना–800023

प्रतिलिपिः–

1. **अपर मुख्य सचिव**, गृह विभाग, बिहार, पटना को कृपया सूचनार्थ ।
2. **महानिदेशक–सह–महासमादेष्टा,** गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशमन सेवाएँ, बिहार, पटना को कृपया सूचनार्थ ।

ह0/–
अध्यक्ष,
केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती),
बिहार, पटना